अवैध कार्य को रोकना

44. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विस्कोमान द्वारा स्टेट एजेंसी के रूप में कोयला का वितरण छोटे एवं अति लघु उपभोक्ताओं को किया जाता रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड के महाप्रबंधक ने अपने पत्रांक 11048, दिनांक 18 सितम्बर, 2006 द्वारा सचिव, सहकारिता को यह सूचित किया है कि विस्कोमान द्वारा स्टेट एजेंसी के रूप में अस्तित्वहीन तथा बन्द इकाईओं को कोयले आपूर्ति की जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उद्योग निदेशक, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक 2001, दिनांक 1 सितम्बर, 2006 एवं पत्रांक 1342, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि विस्कोमान द्वारा कोयला की कालाबाजारी की जा रही है एवं बन्द तथा अस्तित्वहीन इकाईयों को कोयला आवंटित किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस अवैध कार्य को रोकने का विचार रखती है, नही, तो क्यों ?

इन्टरनेट चालू कराना

45. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में वसुधा केन्द्र वर्ष 2005 में स्थापित किए गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वसुधा केन्द्र के संचालकों से 25000 रुपये लेकर पुराना कम्प्यूटर एवं टेलीफोन विभाग से इन्टरनेट कनेक्शन वर्ष 2006-07 में दिया गया है जो कभी चालू ही नहीं हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी वसुधा केन्द्र को सुचारु रूप से चालू कराने हेतु उपर्युक्त सभी वर्णित कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं इन्टरनेट चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी संयत्र स्थापित करना

46. श्रीमती रेणु देवी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुग्ध उत्पादकों की तंगहाल किसान की परेशानी से दुग्ध उत्पादन खर्च से बहुत कम दुध उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2005-06 के पशु गणना के अनुसार एक करोड़ पाँच लाख गाय एवं 58 लाख भैंस है जिनमें प्रतिदिन पचास लाख 60 हजार टन दुग्ध उत्पादन होने के बाद भी दुध की किल्लत बनी हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में केवल 8 ही डेयरी संयत्र स्थापित एवं कार्यरत है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के वंचित जिलों में डेयरी संयत्र स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

47. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य को बी०पी०एल० योजना मद में अनाज की कमी की भरपाई के लिए केन्द्र ने 10 अक्टूबर, 2010 से 11 जनवरी, 2011 तक के बीच प्रतिमाह 16121 टन गेहूँ अर्थात 48363 टन तथा 10 अक्टूबर, 2010 से 11 मार्च, 2011 तक के बीच प्रतिमाह 30937 टन चावल अर्थात कुल 1,54,685 टन चावल का आवंटन किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटन के विरुद्ध राज्य ने 14 हजार टन गेहूँ तथा 98458 टन चावल का उठाव अबतक नहीं कर सका है, जबकि यह उठाव नहीं होने पर 9 मार्च, 2011 तक उक्त अनाज लैप्स कर जाएगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आवंटित अनाज को समय उठाव करने तथा विलम्ब होने के कारणों की जांच कर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई का कौन-सा विचार रखती है ?

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

48. डॉ अच्युतानन्द -- दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित" कृषि विभाग करा रहा खाद की कालाबाजारी" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खाद के रैक खाली हो जाने के बाद विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर सूचना दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2010 को विज्ञापन के माध्यम से 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2010 के बीच जिलों में यूरिया डी ए पी, एमओ पी व मिक्सचर के रैक आगमन की सूचना दी गयी ;

(3) क्या यह बात सही है कि इससे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाया ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

49. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धान अधिप्राप्ति में विस्कोमान पर समय-समय पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) ने अपने पत्रांक 756, दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 के द्वारा निबंधन सहयोग समितियाँ, बिहार को विस्कोमान द्वारा धान अधिप्राप्ति संबंधी आरोपों के संबंध में लिखा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आरक्षी महानिरीक्षक सह-मुख्य-निगरानी पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति में वर्ष 2007-08 में हुई अनियमितता संबंधी जांच प्रतिवेदन सरकार को दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिए प्रत्येक जिले के पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति के संबंध में की गई अनियमितताओं के संबंध में जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 17 मार्च, 2011 (ई०)

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०) 146-डी०टी०पी०-450